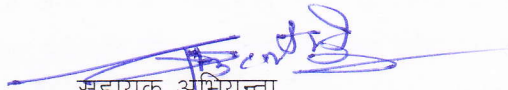


प्रारूप-5

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया गया है।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

एसा सं.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 23 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, अंक0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 03 कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 25.00 किमी0+ 01 सेतु तथा कुल लागत रु0 87.22 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु0 87.22 लाख (रु0 सत्तासी लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य रु0 0.10 लाख अर्थात् 03 कार्यों हेतु रु0 0.30 लाख (रु0 तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा सनस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनवश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित वर्गों का विश्लेषण विभाग के अधीनस्थ अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित वर्गों को जो करे रोकडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हैं, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीनस्थ अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत लागत है, स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कवायि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व सनस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि से मध्य मजूर रखने हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित बरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय फालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन नवों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी नव में किया जाय, एक नव का दूसरी नव में व्यय कवायि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्राकृषीरमेन्ट ललस-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत सनस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बाजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनावश सं0-2047/XIV-219(2008) दिनांक 30-08-2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0बी0, भूमे अभियन्ता, यूटिलिटी सिफिटिंग आदि नवों के सन्वाध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेख0शार्पक-8084 सड़कों तथा सेतुओं पर यूजीवाट नरिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-867-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमे अभियन्ता-00-24 बृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निर्वहन नर रखे गये धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attached

Assistant Engrg.
T.D. PWD Kirinagar

Photo Copy Attached

Assistant Engrg.
T.D. PWD Kirinagar

(ix) - स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) - वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-483/XXVII(2)/2018 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

5221

संख्या- / III(2)/18-10(एस०एस० टोलिया)/2017टी०सी० तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

Photo Copy Attested

Assistant Engg.
T.D. PWD Kirtinagar

Photo Copy Attested

Assistant Engg.
T.D. PWD Kirtinagar

आज्ञा के,
(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

शा0 संख्या- 111(2)/18-10(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :- 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राजागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	30.00	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :- 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	12.00 + 24 mtr. Span	40.56	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या :- 346/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल खोंगचा पाण्डव मोटर मार्ग से गण्डेराखाल टोला ग्वाड मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	16.66	0.10
कुल		25.00+ 01 brid.	87.22	0.30

(कुल रू0 तीस हजार मात्र)

Photo Copy Attested

Assistant Engg.
T.D. PWD Kirtinagar

Photo Copy Attested

Assistant Engg.
T.D. PWD Kirtinagar

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव